



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 01.10.2026

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये आभूषण बरामद ।

दिनांक 29.09.2026 को थाना मोदीनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से सोने, चांदी के आभूषण व रुपये चोरी कर ले जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा- 305(a) बी.एन.एस. के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी व चोरी का माल बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 01.10.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का अनावरण करते हुए चोरी करने वाला अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र भगवती निवासी सुदामापुरी गोविंदपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र 18 वर्ष को थाना मोदीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी के पीली धातु से संबंधित 03 गले के हार, सफेद धातु का 01 कमरबंद, पीली धातु के 03 जोड़ी कान के टॉप्स, पीली धातु का 01 मंगलसूत्र का पेंडल बरामद हुए । बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 317(2) बी.एन.एस. की वृद्धि की गयी । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह सामान मैंने कुछ दिन पहले अपने मोहल्ले के पास वंशिका कॉलोनी, मोदीनगर के एक घर से चोरी किया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र भगवती निवासी सुदामापुरी गोविंदपुरी थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र 18 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी के पीली धातु के 03 गले के हार, सफेद धातु का 01 कमरबंद, पीली धातु के 03 जोड़ी कान के टॉप्स व पीली धातु का 01 मंगलसूत्र का पेंडल बरामद हुए ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम ।

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा नकली पनीर एवं मावा के उत्पादन के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 13.08.2026 को FSO खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा तहरीर दी गई कि 03 अभियुक्तों 1.कलवा पुत्र जमात अली 2. सकील पुत्र मुनसब 3.कफील पुत्र मुनसब निवासीगण ग्राम नाहली थाना भोजपुर गाजियाबाद द्वारा नकली पनीर व मावा बनाया जा रहा है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुसंगत धारा-123/274/275/223/318 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 01.10.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त कफील पुत्र मुनसब निवासी ग्राम नाहली थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 45 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरी दूध की डेरी है । मैंने अधिक लाभ कमाने के लिये दूध, क्रीम व केमिकल का प्रयोग करके नकली पनीर व मावा बनाकर बेच देता था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कफील पुत्र मुनसब निवासी ग्राम नाहली थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 45 वर्ष ।

वांछित अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1.कलवा पुत्र जमात अली ग्राम नाहली थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 49 वर्ष ।
- 2.सकील पुत्र मुनसब ग्राम नाहली थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 50 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध गांजे की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 1 किलो 530 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

दिनांक 30.09.2026 को थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध गांजे की तस्करी करने वाला अभियुक्त कमल पुत्र मोहन ताती निवासी म०नं०- ए-51 गली नं०-1, 30 फुटा रोड दीनदयालपुरी थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष आश्रम रोड कच्चे रास्ते से के पास से थाना नन्दग्राम क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से

कुल 01 किलो 530 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना नन्दग्राम पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब मैं यह अवैध गांजा झुग्गी झोपड़ी सीमापुरी दिल्ली से एक व्यक्ति से लाता हूँ जो अपना नाम पता नहीं बताता है। हम यह गांजा नन्दग्राम क्षेत्र में रास्ते में आने जाने वाले व्यक्तियों को छोटी छोटी पुडिया बनाकर बेचते हैं तथा ठीक ठाक मुनाफा कमाते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कमल पुत्र मोहन ताती निवासी म०न०- ए-51 गली नं०-1, 30 फुटा रोड दीनदयालपुरी थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1 किलो 530 ग्राम नाजायज गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त कमल उपरोक्त के विरुद्ध थाना सिहानीगेट पर 06 अभियोग आबकारी एक्ट/एनडीपीएस एक्ट व थाना नन्दग्राम पर 10 अभियोग आबकारी एक्ट/एनडीपीएस एक्ट/गैंगस्टर एक्ट व कविनगर पर एक अभियोग चोरी संबंधी कुल 17 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अवैध नशीले पाउडर की तस्करी करने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से कुल 140 ग्राम अवैध नशीला पाउडर एल्प्राजोलम व बिक्री के 1250/- रुपये बरामद।

आज दिनांक 01.10.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत चेंकिंग के दौरान अवैध नशीले पाउडर की तस्करी करने वाली अभियुक्ता साबरी उर्फ मछैरन पत्नी स्व० शमशुद्दीन निवासी लाल क्वाटर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 62 वर्ष को बीआर इण्टरनेशनल स्कूल के सामने खाली पड़े मैदान के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 140 ग्राम अवैध नशीला पाउडर एल्प्राजोलम व पाउडर की बिक्री के 1250/- रुपये बरामद हुए। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, अभियुक्ता के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्ता ने पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मैं दिल्ली से सस्ते दामों पर नशीला पाउडर एल्प्राजोलम लेकर आती हूँ तथा उसकी छोटी छोटी पुडिया बनाकर महंगे दामों पर लाल क्वाटर्स व सुदामापुरी के आस पास रहने वाले नशीले पाउडर का सेवन करने वाले लोगों को बेच कर अच्छा मुनाफा कमा लेती हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता -

साबरी उर्फ मछैरन पत्नी स्व० शमशुद्दीन निवासी लाल क्वाटर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 62 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

140 ग्राम अवैध नशीला पाउडर एल्प्राजोलम ।

पाउडर की बिक्री के 1250 रुपये ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्ता के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में NDPS ACT का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा थाना विजयनगर गाजियाबाद पर NDPS ACT से सम्बन्धित 04 अभियोग व आबकारी अधि० से सम्बन्धित 01 अभियोग, थाना कोतवाली गाजियाबाद पर NDPS ACT से सम्बन्धित 01 अभियोग, थाना मसूरी गाजियाबाद पर NDPS ACT से सम्बन्धित 01 अभियोग कुल 08 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम ।